

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

अधि० सं०-सं०का०-०१/वि०प०(सचे० सत्तादल)-०५-०८/२०१०-...../ पटना, दि०-.....२०२५

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, २००६ के नियम-३ के आलोक में श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक, सत्तादल, बिहार विधान परिषद को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक-८१४, दिनांक-२४.०९.२०२४ द्वारा दिनांक-१२.०९.२०२४ के प्रभाव से राज्य मंत्री के दर्जा के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम २(ट) तथा नियम ३(ड) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

२. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, २००६ के धारा २(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम १८ से निर्धारित अनुसूची-१ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-२८८, दिनांक २३.०६.२०१४ द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग-अलग प्रावधानित की गयी है।

३. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में श्री नीरज कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद के द्वारा सरकारी पदाधिकारी के श्रेणी में मो० अतहर, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-३६७/२०२४ सम्प्रति उप निदेशक, पंचायती राज, कोशी प्रमंडल, सहरसा को उनके आप्त सचिव के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा पत्रांक-९७/२५, दिनांक-०४.०३.२०२५ द्वारा इस स्वघोषणा के साथ दी गयी है कि वे उनके सगे-सम्बन्धी नहीं हैं। उपर्युक्त अनुशंसा के आधार पर उक्त पदाधिकारी की सेवा आप्त सचिव के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग के पत्रांक-२०४, दिनांक-१०.०३.२०२५ द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया था।

४. उपरोक्त के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-४८६३, दिनांक-१८.०३.२०२५ के द्वारा मो० अतहर, बि०प्र०से० कोटि क्रमांक-३६७/२०२४ सम्प्रति उप निदेशक, पंचायती राज, कोशी प्रमंडल, सहरसा की सेवा इस विभाग को सौंपी गयी है। तदनुसार इनकी सेवा महानुभाव के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय को सौंपने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। इनकी सेवाएं इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

५. मो० अतहर, आप्त सचिव के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(नवीन)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-01/वि0प0(सचे0 सत्तादल)-05-08/2010-...../ पटना, दि0-.....2025
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार,
सिंचाई भवन, पटना, अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, (वित्त विभाग) पटना,
सचिव, बिहार विधान परिषद्, लेखा-शाखा, बिहार विधान परिषद्, श्री नीरज कुमार,
माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद् एवं मो0 अतहर, आप्त सचिव को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-01/वि0प0(सचे0 सत्तादल)-05-08/2010-...../ पटना, दि0-.....2025
प्रतिलिपि-अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके
ज्ञापांक-14/पद0-703/2025-4863/सा0प्र0, दिनांक-18.03.2025 के आलोक में सूचनार्थ
प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-01/वि0प0(सचे0 सत्तादल)-05-08/2010-~~256~~/ पटना, दि0-~~26.03.2025~~
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

26/03/25

सरकार के अपर सचिव।

Apus